



Neutral Citation No. - 2026:AHC:37560

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - बी संख्या - 654/2026

बाल कृष्ण @ शशिकांत और 7 अन्य

.....याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

राजस्व परिषद, यू.पी. और 3 अन्य

.....प्रतिवादी(गण)

याचिकाकर्ता(गण) के अधिवक्ता : अपराजित यादव, शिवम मिश्रा, श्याम लाल यादव

प्रतिवादी(गण) के अधिवक्ता : आज़ाद राय, सी.एस.सी., गौतम बघेल, रज्जन लाल गोयल, उत्कर्ष सिंह

न्यायालय संख्या - 55

माननीय न्यायमूर्ति चंद्र कुमार राय

1. याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता श्री श्याम लाल यादव और श्री अपराजित यादव; प्रतिवादी संख्या 2 के विद्वान अधिवक्ता श्री गौतम बघेल और श्री उत्कर्ष सिंह; राज्य-प्रतिवादियों के विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री अवधेश कुमार पटेल; और प्रतिवादी-गाँव सभा के विद्वान अधिवक्ता श्री आज़ाद राय को सुना गया।

2. मामले के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि याचिकाकर्ताओं द्वारा दिनांक 4.8.2025 को उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 34 के तहत एक कार्यवाही शुरू की गई थी, जिसे तहसीलदार, कोरांव, प्रयागराज द्वारा स्वीकार किया गया। नोटिस जारी किया गया और दिनांक 13.10.2025 को एक अंतरिम आदेश पारित किया गया, जिसमें राजस्व निरीक्षक द्वारा पारित उस आदेश पर रोक लगा दी

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



गई, जिसके तहत प्रतिवादी संख्या 2 का नाम दर्ज किया गया था। दिनांक 13.10.2025 को तहसीलदार द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध, प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 210 के तहत राजस्व परिषद के समक्ष एक पुनरीक्षण (रिवीजन) याचिका दायर की गई। राजस्व परिषद ने दिनांक 21.1.2026 के आक्षेपित आदेश के माध्यम से, दिनांक 13.10.2025 के आदेश को रद्द कर दिया और मामले को वापस तहसीलदार के पास भेज दिया, ताकि वे कानून के अनुसार, अंतरिम राहत के आवेदन पर एक माह के भीतर और संपूर्ण दाखिल-खारिज (दाखिल-खारिज) कार्यवाही पर 6 माह के भीतर निर्णय ले सकें। अतः, निम्नलिखित राहत के लिए यह रिट याचिका दायर की गई है:-

"उत्प्रेक्षण की प्रकृति का एक रिट, आदेश या निर्देश जारी किया जाए, जिसके द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 (राजस्व बोर्ड, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज) द्वारा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा-210 के तहत पुनरीक्षण संख्या 5812/2025 (कम्प्यूटरीकृत केस संख्या एएल20250203005812) 'सुशीला देवी बनाम रामरती देवी और अन्य' में पारित दिनांक 21.01.2026 के आक्षेपित आदेश को रद्द किया जाए।"

3. याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि याचिकाकर्ताओं द्वारा शुरू की गई दाखिल-खारिज (नामांतरण) कार्यवाही में, दूसरी पार्टी को नोटिस जारी किया गया था और तहसीलदार द्वारा एक अंतरिम आदेश पारित किया गया था। उन्होंने निवेदन किया कि तहसीलदार द्वारा दी गई अंतरिम राहत को रद्द करने के लिए एक उचित आवेदन दायर करके तहसीलदार के समक्ष दाखिल-खारिज कार्यवाही में बहस करने के बजाय, सीधे राजस्व बोर्ड के समक्ष पुनरीक्षण याचिका दायर कर दी गई; और राजस्व बोर्ड ने दिनांक 13.10.2025 के आदेश को एकपक्षीय तरीके से रद्द कर दिया। आगे यह भी निवेदन किया गया कि राजस्व बोर्ड द्वारा आक्षेपित आदेश पारित करते समय याचिकाकर्ताओं को

"अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



कोई नोटिस तामील नहीं कराया गया था। उन्होंने कार्यवाही की आदेश-शीट और अन्य अभिलेखों को प्रस्तुत किया, ताकि यह दर्शाया जा सके कि राजस्व बोर्ड द्वारा पारित आदेश एकपक्षीय था। उन्होंने निवेदन किया कि राजस्व बोर्ड द्वारा दिनांक 21.1.2026 को पारित आदेश को रद्द किया जाए और मामले को वापस राजस्व बोर्ड के पास भेजा जाए, ताकि पुनरीक्षण पर नए सिरे से निर्णय लिया जा सके। अपने निवेदन के समर्थन में, उन्होंने इस न्यायालय के उस निर्णय पर भरोसा जताया जो **2023 (158) आरडी 409 में प्रकाशित है, जिसका शीर्षक है 'राज कुमार बनाम राजस्व बोर्ड और अन्य'।**

4. दूसरी ओर, प्रतिवादी संख्या 2 के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि याचिकाकर्ताओं द्वारा दिनांक 4.8.2025 को दाखिल-खारिज कार्यवाही शुरू की गई थी, जिसमें अवैध तरीके से एक अंतरिम आदेश पारित कर दिया गया; इस आदेश द्वारा राजस्व निरीक्षक के उस आदेश पर रोक लगा दी गई थी, जिसमें प्रतिवादी संख्या 2 का नाम अभिलेखों में दर्ज करने का निर्देश दिया गया था। उन्होंने निवेदन किया कि प्रतिवादी संख्या 2 का नाम अभिलेखों में दर्ज करने का आदेश वर्ष 1994 में ही दिया जा चुका था; अतः, ऐसी स्थिति में... ..अंतरिम आदेश देने का कोई अवसर नहीं है, जिससे लगभग 30 साल पहले प्रतिवादी संख्या 2 का नाम दर्ज करने वाले आदेश के अमल पर रोक लगाई जा सके। उन्होंने दलील दी कि राजस्व बोर्ड ने तहसीलदार द्वारा पारित अंतरिम आदेश को रद्द कर दिया है और मामले को वापस भेज दिया है, ताकि कानून के अनुसार अंतरिम राहत के आवेदन के साथ-साथ पूरी दाखिल-खारिज (नामांतरण) कार्यवाही पर विचार किया जा सके। उन्होंने कहा कि राजस्व बोर्ड द्वारा पारित आदेश के खिलाफ किसी भी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है और याचिकाकर्ता को कानून के अनुसार तहसीलदार के समक्ष कार्यवाही में अपना पक्ष रखना चाहिए।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



5. मैंने दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्तों द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया है और अभिलेखों का अवलोकन किया है।

6. इस तथ्य को लेकर कोई विवाद नहीं है कि यू.पी. राजस्व संहिता, 2006 की धारा 34 के तहत याचिकाकर्ताओं द्वारा शुरू की गई दाखिल-खारिज कार्यवाही तहसीलदार के समक्ष लंबित है। इस तथ्य को लेकर भी कोई विवाद नहीं है कि तहसीलदार ने शुरू में 13.10.2025 को एक अंतरिम आदेश पारित किया था, लेकिन पुनरीक्षण (रिवीजन) में, राजस्व बोर्ड ने तहसीलदार द्वारा पारित अंतरिम आदेश को रद्द कर दिया और मामले को वापस तहसीलदार के पास भेज दिया, ताकि कानून के अनुसार, अंतरिम राहत देने के साथ-साथ दाखिल-खारिज मामले पर भी गुण-दोष के आधार पर निर्णय लिया जा सके।

7. यह उल्लेख करना महत्वपूर्ण है कि रूप नारायण की मृत्यु वर्ष 1991 में हुई थी, प्रतिवादी संख्या 2 का नाम राजस्व अभिलेखों में वर्ष 1994 में दर्ज किया गया था, और दाखिल-खारिज कार्यवाही याचिकाकर्ताओं द्वारा पहली बार वर्ष 2025 में शुरू की गई है।

8. यह एक स्वीकृत स्थिति है कि राजस्व बोर्ड ने विवादित आदेश को एकपक्षीय तरीके से पारित किया गया था और मामले को वापस तहसीलदार के पास भेज दिया गया, ताकि वे अंतरिम राहत की प्रार्थना के साथ-साथ दाखिल-खारिज (नामांतरण) आवेदन पर भी गुण-दोष के आधार पर निर्णय ले सकें। ऐसे में, याचिकाकर्ताओं को—जिन्होंने रूप नारायण की मृत्यु की तारीख के 34 साल बाद दाखिल-खारिज के लिए आवेदन किया है—कानून के अनुसार, तहसीलदार के समक्ष प्रतिवादी संख्या 2 की उपस्थिति में, अंतरिम राहत देने की कार्यवाही और दाखिल-खारिज मामले, दोनों पर गुण-दोष के आधार पर अपना पक्ष रखने का पूरा अवसर प्राप्त है। मामले को वापस राजस्व बोर्ड के पास भेजना न्याय के हित में नहीं होगा।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



9. इस न्यायालय ने 1985 आर.डी. 71 में रिपोर्ट किए गए मामले—'पारस नाथ सिंह बनाम उप निदेशक, चकबंदी और अन्य'—में यह माना है कि यदि आक्षेपित आदेश को रद्द करने से कोई अन्य अवैध आदेश बहाल हो जाता है, तो भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत न्यायालय को विवादित आदेश में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, भले ही वह आक्षेपित आदेश स्वयं अवैध या अनियमित क्यों न हो। पारस नाथ (उपर्युक्त) मामले में दिए गए निर्णय का पैराग्राफ संख्या 21 प्रासंगिक है, जो इस प्रकार है:

21. इसमें कोई संदेह नहीं कि यह कहना सही है कि अधिकार-क्षेत्र के बिना पारित कोई भी आदेश शून्य होता है और उसे रद्द किया जाना चाहिए। लेकिन यदि उस आदेश को रद्द करने के परिणामस्वरूप कोई अन्य गलत और अवैध आदेश बहाल हो जाता है, तो यह न्यायालय उस आक्षेपित आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर देगा, जो कि काफी उचित, न्यायसंगत और न्यायपूर्ण प्रतीत होता है। जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत शक्ति का उद्देश्य न्याय को आगे बढ़ाना है, न कि उसमें बाधा डालना। मेरे विचार से यह बात भली-भांति स्थापित है कि कोई भी ऐसा आदेश जो अवैध है, उसे रिट अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत रद्द या निरस्त नहीं किया जा सकता, यदि उसे रद्द करने का परिणाम यह हो कि उसके स्थान पर कोई दूसरा अवैध आदेश प्रभावी हो जाए।

10. मामले के समस्त तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करते हुए, तथा दाखिल-खारिज मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, इस याचिका का निस्तारण इस निर्देश के साथ किया जाता है कि तहसीलदार, कोरांव, प्रयागराज, अंतरिम राहत की प्रार्थना पर यथाशीघ्र—अधिमानतः इस आदेश

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



की प्रमाणित प्रति संबंधित प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किए जाने की तिथि से 1 माह की अवधि के भीतर-निर्णय लें; तथा संपूर्ण दाखिल-खारिज कार्यवाही का निस्तारण भी यथाशीघ्र-अधिमानतः अंतरिम राहत के आवेदन पर आदेश पारित होने की तिथि से 3 माह की अवधि के भीतर (राजस्व परिषद द्वारा निर्देशित 6 माह के स्थान पर)-करें, और ऐसा करते समय संबंधित पक्षों को सुनवाई का उचित अवसर प्रदान करें तथा विधि के अनुसार निर्णय लें।

(न्यायमूर्ति चंद्र कुमार राय)

19 फरवरी, 2026

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”